

उत्तर रेलवे

कार्यालय मुख्य कारखाना प्रबन्धक,
जगाधरी वर्कशाप।

संख्या 974-ई/हित/कोविड-19/ज0व0


दिनांक 27-06-2020

सभी अधिकारीगण,
सभी वरि0 खण्ड अभियंता,
जगाधरी वर्कशाप।

विषय:- जगाधरी वर्कशाप में कर्मचारियों की ड्यूटी के सम्बंध में।

संदर्भ :- 1. इस कार्यालय के पत्र संख्या 974-ई/हित/कोविड-19/ज0व0 दिनांक 23-05-2020.
2. रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 2020/O&M/25/7/Misc(15th & 16th) दिनांक 09.06.2020.

उपरोक्त विषय के संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 974-ई/हित/कोविड-19/ज0व0 दिनांक 23-05-2020 द्वारा राज्य या रेलवे चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा संगरोध (Quarantine) की किसी भी अवधि को (केवल वेतन प्रबंधन के उद्देश्य से एक अंतरिम उपाय के रूप में) विशेष आकस्मिक अवकाश माना गया था।

उपरोक्त संदर्भित पत्र सं0 2020/O&M/25/7/Misc(15th & 16th) दिनांक 09.06.2020. के द्वारा संदर्भ क्रमांक 1 के पैरा 2 में दर्शाई गई अवकाश की प्रकृति को विशेष आकस्मिक अवकाश के स्थान पर वर्क फ्राम होम किया जाता है। चूंकि संगरोध अवकाश (Quarantine Leave) के प्रावधानों को समाप्त किया जा चुका है। अतः स्वयं होम कॉरेंटाइन की अवधि (विशेष आकस्मिक अवकाश) को वर्क फ्राम होम माना गया/जायेगा।


कृते मुख्य कारखाना प्रबन्धक,
जगाधरी वर्कशाप।

प्रतिलिपि - सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. सचिव एनआरएमयू (यांत्रिक एवं विद्युत शाखा) - जगाधरी एवं कालका वर्कशाप।
2. सचिव यूआरएमयू (यांत्रिक एवं सामान्य शाखा) - जगाधरी एवं कालका वर्कशाप।
3. सचिव एससी/एसटी एवं ओबीसी एसोसियेशन - जगाधरी एवं कालका वर्कशाप।
4. सभी मुख्य कार्यालय अधीक्षक/इंचार्ज - जगाधरी एवं कालका वर्कशाप।